P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में गठबंधन सरकारों का विदेश नीति पर प्रभाव

हंसा चौधरी
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। भारत में राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य अथवा क्षेत्रीय स्तर पर अनेक राजनीतिक दल है, जो भारतीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन् कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की दासता से स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् स्वतंत्र भारत में जब वर्ष 1951–52 में प्रथम आम चुनाव कराए गए, तब नेहरूजी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। नेहरूजी के काल में बहुदलीय प्रणाली एकदलीय प्रभुत्व प्रणाली के रूप में उभर कर सामने आई।

श्रीमति इंदिरा गांधी के शासनकाल में लिए गए कुछ निर्णयों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्चस्व शनैः शनैः कम होने लगा। इसी का परिणाम यह रहा कि वर्ष 1977 के आम चुनावों में चार दलों के सम्मिलन से बनी 'जनता पार्टी' ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राष्ट्रीय दलों के प्रभाव में निरंतर होते ह्रास के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय दलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। जिसके कारण किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करना कठिन कार्य हो गया। संघीय स्तर पर वर्ष 1989 में पहली बार गठबंधन सरकार का गठन किया गया। इसके पश्चात् भी अधिकांश समय गठबंधन सरकारें ही बनती रही हैं, जिसके कारण न केवल राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हुई है, बल्कि इन विभिन्न विचारधाराओं के दलों के सहयोग से बनी गठबंधन सरकारों ने भारत की विदेश नीति को भी प्रभावित किया है।

मुख्य शब्द : बहुदलीय प्रणाली, एकदलीय प्रभुत्व प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता पार्टी, गठबंधन सरकार।

प्रस्तावना

भारत ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात् ब्रिटेन की शासन–व्यवस्था के वेस्टमिंस्टर मॉडल को स्वीकार किया एवं ऐसा किया जाना उचित भी था क्योंकि ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में भारत में संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित किया गया था जिसके कारण भारतीयों को इसका अनुभव प्राप्त था। अंग्रेजो द्वारा क्रमशः लागू किए गए शासन अधिनियमों एवं प्रशासनिक सुधार नीतियों के अन्तर्गत भारतीयों को भी राजनीतिक सहभागिता का अवसर प्राप्त हुआ। यद्यपि जनसहभागिता का प्रतिशत कम रहा, परन्तु मतदाता, उम्मीदवार, जन–प्रतिनिधि एवं सर्वाधिक शासित के रूप में भारतीय नागरिक संसदीय शासन प्रणाली से परिचित हुए। शासन–व्यवस्था का अंग बनकर प्रशासनिक व्यवस्था का अनुभव भी प्राप्त हुआ। इसी का परिणाम रहा कि संविधान निर्मात्री सभा के अधिकांश सदस्य अध्यक्षात्मक शासन–प्रणाली की तुलना में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाये जाने के पक्ष में थे।

यद्यपि भारत में ब्रिटेन की शासन–व्यवस्था का अनुसरण किया गया, तथापि भारतीय परिस्थितियों एवं मनोभावों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार किया गया है। अतः भारतीय संविधान में अपनाई गई व्यवस्था को किसी अंधानुकरण अथवा प्रतिबिंब मात्र की संज्ञा देना दोषपूर्ण होगा।

भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है। संविधान के अन्तर्गत ही प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि अपनी विचारधारा से साम्यता रखने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा व्यक्ति–समूह के साथ मिलकर किसी संगठन का निर्माण कर सकता है। यद्यपि इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा, साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्र की एकता, अखण्ड़ता आदि के आधार पर न्यायोचित प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं।

किसी भी राष्ट्र में लोकतंत्र का सफल संचालन राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकल्पनीय है। इसी का प्रतिफल है कि दलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। लार्ड ब्राइस के अनुसार जनमानस विभिन्न विचारधाराओं का योग है, जिसमें विचारों का परस्पर विरोध एवं

प्रतिपादन होता है। सामान्यतः समाज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यदि पूर्णतः नहीं, तो कम–से–कम कुछ लोग सामान्य दृष्टिकोण रखते है तथा कुछ उनके विरोधी होते है। इन्हीं समूहों तथा संगठित लोगों से राजनीतिक दल का निर्माण होता है।[1] भारतीय दलीय व्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय संसदीय लोकतंत्र, भारत की विशालता, सांस्कृतिक – धार्मिक विविधता एवं सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सम्मिलित किया जा सकता है। भारत में अपनाई गई बहुदलीय व्यवस्था इन्हीं कारकों का परिणाम रही है।

स्वतंत्रता के बाद दो दशकों के राजनीतिक परिदृश्य का अवलोकन किया जाए, तो बहुदलीय व्यवस्था का अविकसित रूप अथवा पिछड़ा रूप ही दिखलाई देता है। ध्यातव्य है कि स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् के काल में कांग्रेस–नीति का रूप ही आच्छादित रहा। बहुदलीय व्यवस्था के अन्तर्गत एक दल के प्रभुत्व की स्थिति से भी भारतीय व्यवस्था का साक्षात्कार हुआ है। मौरिस जौंस के अनुसार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली को दर्शाती है, जहाँ कांग्रेस की वर्चस्वता कायम है।[2]

भारत में गठबंधन सरकारें

भारतीय संसदीय लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय एवं राज्य अथवा क्षेत्रीय स्तरीय के दलों का अस्तित्व है, जो जनता में जागरूकता उत्पन्न करने, चुनावों में मतदाताओं के समक्ष अलग–अलग कार्यक्रम प्रस्तुत करने, प्रतिनिधित्व प्रदान करने आदि महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हैं। परन्तु भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने गठबंधन की राजनीति का सूत्रपात करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन् किया है। राजनीतिक दलों की निरंतर बढ़ती संख्या एवं राष्ट्रीय दलों के प्रभाव में कमी के परिणामस्वरूप खण्डित जनादेश की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण कोई एक दल विशेष सरकार के गठन में सक्षम नहीं होता है, जिसके कारण विभिन्न राजनैतिक दल मिलकर साझा सरकार का गठन करते हैं।

भारत में संघीय स्तर पर गठबंधन राजनीति का प्रारंभिक बिन्दु मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व में बनी 'जनता पार्टी' की सरकार को माना जा सकता है, जब चार मुख्य राजनीतिक दलों – भारतीय लोकदल, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी ने वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी द्वारा लागू किये गए आपातकाल के विरोध में कॉंग्रेस के एक विकल्प के रूप में परस्पर सहयोग का निर्णय लिया एवं चारों दलों का विलय कर 'जनता पार्टी' नामक नवीन दल का गठन किया। मार्च, 1977 में आम चुनाव आयोजित कराये गए एवं गैर–कॉंग्रेसी विपक्ष ने चुनाव में सफलता प्राप्त की।[3] वर्ष 1989 में चन्द्रशेखर सरकार, वर्ष 1990 में वी.पी. सिंह सरकार, वर्ष 1996 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, वर्ष 1997–98 में क्रमशः एच.डी. देवगौड़ा, आई. के. गुजराल सरकार, वर्ष 1998 एवं वर्ष 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकारें, वर्ष 2004 एवं वर्ष 2009 में बनी कॉंग्रेस नीत गठबंधन सरकारें एवं वर्ष 2014 एवं वर्ष 2019 में गठित मोदी सरकार संघीय स्तर पर बनी गठबंधन सरकारें हैं।

यदि राज्यों के संदर्भ में विचार किया जाए, तो भारत में गठबंधन सरकारों के गठन का सूत्रपात त्रावणकोर–कोचीन में बनी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार से हुआ, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। विभिन्न दलों के सहयोग से गठबंधन सरकार का निर्माण करके कुशलतापूर्वक संचालन एक कठिन कार्य है। किसी भी गठबंधन सरकार के घटक दलों के लिए यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है कि उनके मध्य वैचारिक साम्यता हो। भारत में राज्य स्तर एवं संघीय स्तर पर बनी गठबंधन सरकारों पर यदि दृष्टिपात् करे, तो यह तथ्य सामने आता है कि नितांत विपरीत विचारधारा का अनुसरण करने वाले राजनीतिक दलों ने परस्पर मिलकर साझा सरकार का गठन किया है। प्रायः यह भी दृष्टिगोचर होता है कि जो राजनीतिक दल पूर्व में किसी एक गठबंधन का हिस्सा था, वह बाद में भिन्न गठबंधन से जुड़ने में भी संकोच नहीं करता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में सम्मिलित रहे राजनीतिक दल इसका उपयुक्त उदाहरण है। यथा – तृणमूल कॉंग्रेस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अंग भी रही है एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में सम्मिलित भी रहीं है।

इस प्रकार राजनीतिक दलों का अवसरवादी स्वरूप उभर कर सामने आता है। इसे राजनीतिक शब्दावली में ''सौदेबाजी की राजनीति' भी कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। इस प्रकार की स्थिति प्रायः तब उत्पन्न होती है, जब खण्ड़ित जनादेश के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग से सरकार का निर्माण करना हो, तब छोटे राजनीतिक दल सरकार में सम्मिलित होने के लिए अपनी मांगे सामने रखते है, जो इच्छित मंत्रालय प्राप्त करने अथवा सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त करने के रूप में भी हो सकती है। सरकार का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दल पर सदैव दबाव बना रहता है, क्योंकि घटक दलों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सरकार को स्थायित्व प्रदान करना इसकी प्राथमिकता बन जाती है।

भारत में गठबंधन सरकारें एवं विदेश नीति

भारत के संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है जिसके अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में शक्तियां संघीय सरकार को प्राप्त है। संघीय स्तर पर गठबंधन सरकार का अंग विभिन्न राज्य स्तरीय राजनैतिक दल भी होते हैं, जो प्रत्येक निर्णय में सम्मिलित होते हैं।

परन्तु स्थिति तब विकट हो जाती है, जब राष्ट्र के आंतरिक मामलों के साथ विदेश नीति संचालन में भी सरकार के घटक दलों द्वारा अनावश्यक कठिनाईयाँ उत्पन्न की जाती है। किसी भी गठबंधन सरकार में सम्मिलित घटक दल सरकार के पतन का निर्धारण भी करते हैं। यदि उनकी किसी मांग अथवा विचार को स्वीकार नहीं किया जाए, तो गठबंधन से समर्थन वापसी की घोषणा कर घटक दल सरकार का अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं।

भारत में संघीय स्तर पर बनी साझा सरकारों में क्षेत्रीय दलों की प्रभावी भूमिका रही है। इनके द्वारा सौदेबाजी की राजनीति के अनुसरण में राष्ट्रीय हित की तुलना में स्थानीय हितों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रभाव भारत की विदेश–नीति पर भी दृष्टिगोचर होता है। यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई भी क्षेत्रीय दल, जो संघीय गठबंधन सरकार का घटक दल है अथवा नहीं, विदेश–नीति संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने में सक्षम है अथवा नहीं?

मोरारजी देसाई सरकार में कांग्रेस विरोधी विचारधारा के दल सम्मिलित थे, जिनमें भारतीय जनसंघ प्रमुख था, परन्तु विदेश नीति के विषय में इन घटक दलों के मध्य किसी प्रकार के मत वैभिन्य की स्थिति कभी भी उपस्थित नहीं हुई। जो सिद्धांत भारत की विदेश नीति के मूलाधार रहे, उन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण किया गया। इसके पश्चात् संघीय स्तर पर वर्ष 1989 में पुनः गठबंधन सरकार के गठन की स्थिति उत्पन्न हुई एवं वी.पी. सिंह के नेतृत्व में इस साझा सरकार का गठन किया गया। इस गठबंधन सरकार ने विदेश नीति के संदर्भ में अनेक निर्णय लिए, जिनमें श्रीलंका से भारतीय शांति सेना की वापसी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। परन्तु वी.पी. सिंह सरकार के घटक दल किन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में विभाजित दिखाई नहीं दिये। इसी प्रकार की स्थिति वर्ष 1990 में चन्द्रशेखर के नेतृत्व में गठित साझा सरकार के समय रही।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संघीय स्तर पर वर्ष 1996, वर्ष 1998 एवं वर्ष 1999 में तीन बार गठबंधन सरकारों का गठन किया गया। इन गठबंधन सरकारों में विभिन्न विचारधारा का अनुसरण करने वाले राजनीतिक दल सम्मिलित थे एवं अनेक अवसरों पर मत–वैभिन्य भी हुए एवं वर्ष 1996 एवं वर्ष 1998 में गठित गठबंधन सरकारें अपने घटक दलों के कारण ही समाप्त हुई। वाजपेयी सरकार में पश्चिम बंगाल के राज्य स्तरीय दल तृणमूल कॉंग्रेस भी सम्मिलित थी, जिसकी अध्यक्ष सुश्री ममता बनर्जी है। बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल समझौता संबंधी विषय हो अथवा भारत–बांग्लादेश सीमा रेखा विवाद हो, ममता बनर्जी ने सदैव इन पर उनकी सहमति की अपेक्षा की है।

वर्ष 2004 एवं पुनः वर्ष 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन–1 एवं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन–2 की सरकारों को भी अपने गठबंधन स्वरूप के कारण अपने घटक दलों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। एआईएडीएमके एवं तृणमूल कांग्रेस ने क्रमशः श्रीलंका एवं बांग्लादेश से संबंधित विभिन्न नीतियों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा जिससे सरकार को तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने पड़े। गठबंधन सरकार के घटक दल होने के कारण ये दल राष्ट्रीय नीतियों पर स्थानीय नीतियों को अधिक महत्व दे रहे थे, जिस कारण गठबंधन सरकारों को श्रीलंका एवं बांग्लादेश संबंधी कुछ नीति–निर्णयों को या तो टालना पड़ा अथवा रद्द करना पड़ा। उदाहरण के लिए जून, 2015 में भारत–बांग्लादेश सीमा विवाद के निवारण के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बांग्लादेश की यात्रा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी भी गई एवं इस समझौते में उनकी भूमिका 'एक मिनी स्टैट की मुखिया' के रूप में दिखाई दी।[4]

इसी प्रकार एक स्पष्ट उदाहरण, जो नवंबर, 2013 में भारत की श्रीलंका के प्रति नीति पर घरेलू राजनीति की परछाई के रूप में सामने आया। नवंबर, 2013 में 23वें चोगम बैठक (कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेन्ट मीटिंग) का आयोजन कोलंबों में हुआ। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की इस बैठक में सहभागिता आवश्यक मानी गई थी। परन्तु दो मुख्य तमिल दलों – एआईएडीएमके एवं डीएमके ने प्रधानमंत्री से इस बैठक में बहिष्कार की विनती की। मनमोहन सिंह सरकार के कई मंत्री, जो तमिलनाडु से सांसद थे, इस भागीदारी के विरोधी थे।[5] तमिलनाडु के मुख्य दलों डीएम के ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे डॉ0 सिंह की कोलंबो यात्रा का विरोध करते है, क्योकिं यह यात्रा श्री राजपक्षे की तमिल नागरिकों के विरुद्ध नीतियों के समर्पन के रुप में देखी जाएगी।[6]

वर्ष 2014 में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन–2 सरकार को श्रीलंका एवं बांग्लादेशी संबंधी अपने निर्णय लेने के लिए क्रमशः तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल को विश्वास में लेते हुए समझौते करने पड़े हैं।

परन्तु सार रूप में दृष्टिगोचर होता है कि यद्यपि भारत में वर्ष 1977 एवं वर्ष 1989 के बाद से अधिकांशतः गठबंधन सरकारों का ही गठन किया गया है, जो अप्रत्याशित उठापटक की राजनीति का शिकार रही है। सरकार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए नेतृत्वकर्त्ता दल को घटक दलों के मध्य तालमेल बनाने का हरसंभव प्रयास करना पड़ता है एवं सरकार को घटक दलों की सौदेबाजी की तुच्छ राजनीति से उबरकर कार्य करने की आवश्यकता होती है, जिसमें कोई दल सफल रहता है एवं किसी दल को असफलता का सामना करना पड़ता है, जिसका तात्पर्य है कि सरकार का पतन हो जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने अपनी विदेश–नीति के जो आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किये थे, वे सिद्धांत वर्तमान में भी उसी स्वरूप में दिखलाई देते हैं। भारत ने तत्कालीन विश्व की गुटीय राजनीति से पृथक् रहते हुए गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत की नींव रखी थी, जो वर्तमान में भी अपना अस्तित्व बनाये हुए है। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, परमाणु परीक्षण करने के उपरांत भी भारत के इस सिद्धांत में लेशमात्र भी परिवर्तन नहीं आया है। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अपने सिद्धांत पर वर्तमान में भी अडिग है।

इसका कारण यह रहा है कि चाहे संघीय स्तर पर सरकार एक दल की बनी हो अथवा अनेक दलों के सम्मिलन से गठित की गई हो, भारत ने अपनी जड़ों को छोड़ा नहीं है। विदेश नीति के संचालन में यद्यपि गठबंधन सरकारों को घटक दलों के संकीर्ण विचारों के कारण कुछ कठिनाईयों का सामना अवश्य करना पड़ा है, जो एक वास्तविक तथ्य है, परन्तु ऐसा कोई अवसर उपस्थित नहीं हुआ है, जबकि घटक दलों के अनावश्यक दबाव के

कारण गठबंधन सरकारों ने भारत की विदेश नीति में कोई आमूलचूल परिवर्तन किया हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई निर्णय हो, जो भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों का किसी भी रूप में उल्लंघन करता है।

अनुसंधान प्रविधि

प्रस्तुत शोध–पत्र पूर्णतः द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है, जिसमें विषय से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, शोध–पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों में प्रकाशित सामग्री का प्रयोग किया गया है। विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक प्रविधि का प्रयोग किया गया है।

साहित्यावलोकन

गोखले, ए. नीतिन, रोल ऑफ डॉमेस्टिक पॉलिटिक्स इन इण्डिया – श्रीलंका रिलेशन्स, सीएलएडब्ल्यूएस जर्नल, विंटर, 2014 के अन्तर्गत भारत–श्रीलंका संबंधों पर तमिलनाडु राज्य के राजनीतिक दलों के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट किया गया है। तमिलनाडु के दो मुख्य क्षेत्रीय दलों एआईएडीएमके एवं डीएमके के श्रीलंका से संबंधित विषयों पर संघीय सरकार पर दबाव के विभिन्न अवसरों का विवेचन किया है, जिनमें मुख्यतः लिटटे से संबंधित विवाद पर तमिल दलों की दबावकारी राजनीति का वर्णन किया गया है।

प्रस्तावित एवं संपादित श्री अवतार सिंह भीसन, इण्डियाज फोरेन रिलेशन्स 2008, गीतिका प्रकाशक, नई दिल्ली, मार्च, 2009 के अन्तर्गत भारत के विभिन्न राष्ट्रों के साथ संबंधों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है। इस दस्तावेज के दो भाग हैं, जिनमें द्वितीय भाग में एशिया, अफ्रीका, अमरीका, यूरोप, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संबंधों की चर्चा की गई है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य भारत में संघीय स्तर पर गठित हुई गठबन्धन सरकारों का भारत की विदेश नीति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना है। एकदलीय पूर्ण बहुमत प्राप्त सरकार की भाँति ही क्या एक गठबन्धन सरकार भी विदेश नीति सम्बन्धी कार्य सहजता से कर पाती है अथवा घटक दल सरकार की वैदेशिक नीति को प्रभावित करते है।

निष्कर्ष

भारत में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का अवलोकन करने पर कहा जा सकता है कि भविष्य में भी संघीय स्तर पर गठबंधन सरकारों के गठन की परिस्थितियां पुनः उत्पन्न होगी एवं भिन्न–भिन्न विचारधारा का अनुसरण करने वाले राजनीतिक दलों के सहयोग से गठबंधन सरकार का गठन किया जाएगा। भारत में संघीय स्तर पर गठबंधन सरकारों के गठन के प्रारंभिक कालखण्ड़ से वर्तमान तक की अवधि की गठबंधन सरकारों के कार्यकलापों एवं कार्यप्रणालियों का विश्लेषण करने पर यह तथ्य निकलकर सामने आते हैं कि यद्यपि राष्ट्रीय विषयों पर घटक दलों की संकीर्ण विचारधारा एवं मोल–भाव की राजनीति का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा है एवं गठबंधन सरकारों को अपने घटक दलों के विरोध के कारण अनेक निर्णयों में परिवर्तन करना पड़ा है, परन्तु विदेश नीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के विषयों पर संघीय सरकार के गठबंधन स्वरूप ने भारत की नीति एवं निर्णयों पर कोई अप्रत्याशित एवं नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला है, जो भारत की विदेश नीति के लिए शुभ संकेत है। विदेश नीति के विषयों पर एकदलीय सरकार एवं गठबंधन सरकार की नीतियाँ एक समान एवं एक स्वरूप की रही है।

अंत टिप्पणी

1. *चौधरी बासुकी नाथ, कुमार युवराज (सं.) कुमार रणजीत भारतीय शासन एवं राजनीति, भारतीय दलीय व्यवस्था : राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2011, पृ.सं. 321*
2. *जोंस, मौरिस, इण्डियन गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटिक्स, हटचिंसन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, लंदन, 1971, चेन्नई, पृष्ठ सं. 148*
3. *चन्दर,एन.जोस, कोलीशन पालिटिक्स, एन इण्डियन एक्सपीरियंस, कन्सेप्ट पब्लिक, नई दिल्ली, 2004 पृ. सं.– 31*
4. *द हिन्दू, 6 जून, 2015, एक्सेसेड ऑन 10/05/2019 समय 9:18*
5. *गोखले ए. नीतिन, रोल ऑफ डॉमेस्टिक पॉलिटिक्स इन इण्डिया – श्रीलंका रिलेशन्स, सीएलएडब्ल्यूएस जर्नल, विंटर, 2014, पृ.सं. 129–130.*
6. *India blogs.nytimes.com,07 Nov 2013,accessed on 07,Sept 2019 Time 16:10*